

कार्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट पिरौटा, भोजपुर।
पिरौटा, आरा (भोजपुर) पिन-802312



शिक्षा विभाग, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार सरकार पटना

दो वर्षीय प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन)

सत्र 2021-2023 में नामांकन हेतु दिशा निर्देश

- 01 C.L.C/S.L.C/ Medical/Certificate नामांकन के समय जमा करना होगा।
- 02 जिस योग्यता पर चयन हुआ है उसका अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आवसीय, जाति, दिव्यांग प्रमाण EWS का प्रमाण पत्र नामांकन के समय लाना होगा।
- 03 किसी अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के संबंध में अथवा उनके विरुद्ध कोई अन्य सूचना हो तो उसकी जानकारी इस संस्थान को दे ताकि वैसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय।

कोटिवारी	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
GEN/EBC/BC	11,500.00	8500.00
SC/ST/Handicapped	7000.00	5000.00

05. शपथपत्र (Affidavit)
06. नामांकन के समय उपस्थिति नहीं होने पर उनका दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
07. नामांकन के पश्चात किसी भी स्थिति में नामांकन शुल्क वापस नहीं होगा।
08. नामांकन के समय बागवानी से संबंधित सामग्री कुदाल, बाल्टी, तगाड़ी, झाड़ू, खुरपी, हसुआ, मग, लाना होगा।
- 09 कोई भी मूल प्रमाण पत्र/ online Payment Receipt नहीं रहने पर नामांकन नहीं लिया जायगा।
- 10 नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों की दो स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति भी फोल्डर में लाना होगा।
- 11 नामांकन के 15 दिनों के अन्दर निर्धारित यूनिफार्म एवं थैले के साथ संस्थान में आना सुनिश्चित करावें।

आदेशनुसार
डायट पिरौटा, भोजपुर

कार्यालय – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) पिरौटा, भोजपुर

D.EL.Ed. (2021-23) में प्रथम चयन सूची से नामांकन हेतु अभ्यर्थियों को निर्देश :-

1. प्रथम चयन सूची से नामांकन की तिथि दिनांक-11.10.2021, 16.10.2021 एवं 18.10.2021 है। उपरोक्त अंतिम तिथि तक नामांकन हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का चयन स्वतः रद्द हो जायेगा तथा इस में उन्हें नामांकन का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. नामांकन हेतु चयन के आधार यथा प्राप्तांक, जन्म तिथि, नाम, कोटि में अंतर पाये जाने पर अभ्यर्थी के नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कारवाई की जाएगी।
3. आवेदक ने 21.01.2021 के पूर्व इंटर अथवा इंटर समकक्ष कि योग्यता पूर्ण कर ली हो।
4. आवेदक ने 01.01.2021 को 17 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो।
5. नामांकन उपरांत अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति प्रतिशत का अनुपालन करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे। इस आशय का शपथ पत्र नामांकन के समय देना अनिवार्य होगा।
6. अभ्यर्थी एक फाईल फोल्डर में दो पासपोर्ट साइज फोटो, मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं नामांकन से संबंधित अन्य आवश्यक कागजात जमा करेंगे तथा एक अन्य फाईल फोल्डर में सभी दस्तावेजों की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करावेंगे।

- नामांकन के समय निम्नांकित प्रमाण पत्र / दस्तावेज लाना आवश्यक होगा।—
 - I. मैट्रिक / समकक्ष का मूल अंक पत्र।
 - II. मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र।
 - III. इंटरमीडिएट / समकक्ष का मूल अंक पत्र।
 - IV. इंटरमीडिएट मूल प्रमाण पत्र।
 - V. उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र।
 - VI. विद्यालय / महाविद्यालय परित्याग अथवा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (अतिआवश्यक)।
 - VII. C.B.S.E / I.C.S.E बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए प्रवजन (माइग्रेशन प्रमाण पत्र)।
 - VIII. आरक्षण कोटि के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन प्रमाण पत्र।
 - IX. EWS अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन प्रमाण पत्र।
 - X. निःशक्त प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत (निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए)।
 - XI. ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।
 - XII. शपथ पत्र (नोटरी के द्वारा) जिसमें यह अंकित हो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही हैं, इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में संस्थान मेरे विरुद्ध कानूनी कारवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। (शपथ पत्र प्रपत्र संलग्न)


6. **नामांकन शुल्क का भुगतान** – चयनित अभ्यर्थियों को नामांकन उपरांत दो दिनों के अंदर प्रथम वर्ष के नामांकन शुल्क के रूप में (General, BC, EBC) 11500/- ₹0 तथा (SC, ST, Handicapped) 7000/- ₹0 का भुगतान www.dietbhojpur.com पर दिए हुए SBI Collect लिंक के माध्यम से ऑनलाइन संस्थान के खाते में करना होगा जिसे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। भुगतान की प्रति नामांकन

211

की तिथि से दो दिनों के अंदर कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। उपरोक्त भुगतान के अभाव में संबंधित प्रशिक्षु का नामांकन पूर्ण नहीं माना जाएगा तथा अगली चयन सूची में संबंधित प्रशिक्षु की जगह मेधा सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थी को नामांकन हेतु आमंत्रित करने की बाध्यता होगी।

7. राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य है। सभी चयनित अभ्यर्थी मास्क व सेनेटाइजर से साथ Social Distancing का पालन करते हुए नामांकन में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

शपथ पत्र का प्रारूप निम्नवत् है -



प्राचार्य,

डायट पिरौटा, भोजपुर

21/9/21